रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/249/2023

पीठासीन: **श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना**

संस्थन की तिथि: 22.06.2023
निर्णय की तिथि: 26.08.2025

1. जुली वर्मा (W/O- अरूण कुमार वर्मा)
2. अरूण कुमार वर्मा उर्फ अरूण चन्द्र वर्मा (S/O- अनिरूद्ध प्रसाद वर्मा)

सभी निवासी ग्राम– शिवपुरी कॉलोनी,
थाना– इशाकचक,
जिला– भागलपुर,
बिहार .... याचीगण

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता। ....उत्तरदाता

दावा राशि: ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थिति:
वादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री संजय कुमार तिवारी– उपस्थित।
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री राधिका रमण– उपस्थित।

निर्णय

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी) :

1. याचीगण जुली वर्मा एवं अरूण कुमार वर्मा उर्फ अरूण चन्द्र वर्मा ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत रितिक कुमार की रेल घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन (मूल आवेदन के कॉलम 3 एवं 4 सहित) के अनुसार, मृतक रितिक कुमार अपने भाई रवि कुमार के साथ जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए दिनांक 30-12-2021 को ट्रेन संख्या 13401 (भागलपुर दानापुर इंटरसिटी) में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन भागलपुर स्टेशन से चली और लगभग 5:38 बजे मुस्लिम हाई स्कूल के पास पहुंची। तभी अचानक उसी डिब्बे में एक अज्ञात बदमाश चढ़ा और मृतक के पास आया और उसके हाथ से रियलमी मोबाइल छीन लिया और भागने की कोशिश की। जब मृतक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाश ने अपने कट्टे से उस पर गोली चला दी, जिससे मृतक घायल हो गया। इसके बाद ट्रेन को वैक्यूम पर रोक दिया गया। मृतक का भाई रवि कुमार ने अन्य यात्रियों की मदद से घायल रितिक कुमार को जेएलएनएमसीएच, भागलपुर में इलाज के लिए ट्रेन से उतार कर ले गया। अस्पताल में रितिक कुमार (मृतक) के फर्दबयान के आधार पर रेल थाना भागलपुर कांड संख्या- 168/2021 दिनांक 30-12-21 के रूप में मामला दर्ज किया गया है। बेहतर इलाज के लिए रितिक कुमार को एम्स, फुलवारीशरीफ, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 06-01-2022 को उनकी मृत्यु हो गई। टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन कानून के आधार पर पोषणीय नहीं है। निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास से कोई टिकट बरामद नहीं हुआ है। इसलिए आवेदक को यह

प्रमाणित करना होगा कि मृतक के पास असली वैध टिकट था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उन गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई है जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। आवेदक की पूरी कहानी या मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। आवेदक को यह कि साबित करना होगा कि मृतक ट्रेन का सदभावी यात्री था। आवेदक कानूनी रूप से दावा आवेदन के कॉलम VII में दिए गए किसी भी राहत का हकदार नहीं है। कथित घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है। यह न तो दुर्घटना है और न ही अनपेक्षित घटना है, जिसके लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124ए के अंतर्गत मुआवजे का दावा स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 06.10.2023 विरचित किये गये:–

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाडी का सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C) (2) सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. याचीगण द्वारा रवि कुमार को ए0डब्ल्यू–1 तथा जुली वर्मा को ए0डब्ल्यू–2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से एफआईआर, फर्दबयान, जब्ती सूची, बयान प्रपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, टिकट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आश्रित प्रमाणपत्र, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अंतिम प्रतिवेदन की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी।

Ram

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन मे डीआरएम रिपोर्ट की मूलप्रति (सामूहिक प्रदर्श R/1) प्रस्तुत की गयी। विपक्षी रेलवे की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

9. उक्त दोनों वाद बिन्दु एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

10. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c) में अनपेक्षित घटना को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

धारा 123 (c):

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मृतक रितिक कुमार अपने भाई रवि कुमार के साथ जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए दिनांक 30-12-2021 को ट्रेन संख्या 13401 (भागलपुर दानापुर इंटरसिटी) में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन भागलपुर स्टेशन से चली और लगभग 5:38 बजे मुस्लिम हाई स्कूल के पास पहुंची। तभी अचानक उसी डिब्बे में एक अज्ञात बदमाश चढ़ा और मृतक के पास आया और उसके हाथ से रियलमी मोबाइल छीन लिया और भागने की कोशिश की। जब मृतक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाश ने अपने कट्टे से उस पर गोली चला दी, जिससे मृतक घायल हो गया। इसके बाद ट्रेन को वैक्यूम पर रोक दिया गया। मृतक का भाई रवि कुमार ने अन्य यात्रियों की मदद से घायल रितिक कुमार को जेएलएनएमसीएच, भागलपुर में इलाज के लिए ट्रेन से उतार कर ले गया। अस्पताल में रितिक कुमार (मृतक) के फर्दबयान के आधार पर रेल थाना भागलपुर कांड संख्या- 168/2021 दिनांक 30-12-21 के रूप में मामला दर्ज किया गया है। बेहतर इलाज के लिए रितिक कुमार को एम्स, फुलवारीशरीफ, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 06-01-2022 को उनकी मृत्यु हो गई। टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न है।

12. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि मृतक प्रश्नगत रेलगाडी का सद्भावी यात्री नहीं था तथा उसकी मृत्यु पूर्व दुश्मनी के कारण जानलेवा हमला में हुई थी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में कोई भी टिकट नहीं पाया गया है। अतः उक्त टिकट याचीगण द्वारा बाद में मैनेज किया गया है।

13. याचीगण के द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है उसका सत्यापन कराकर उसे गलत साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। परन्तु उत्तरदाता द्वारा टिकट का सत्यापन कराकर कोई रिपोर्ट न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त डीआरएम रिपोर्ट में उल्लेख है कि–

The deceased person Ritik Kumar was shot by criminal Md. Lal@ Md. Ashif Khan during snatching of mobile in Train No. 13401 (Bhagalpur-Danapur Intercity Express) near LC Gate No. IA in between Bhagalpur-Nathnagar Railway Station.

इससे याची के वैध यात्रा टिकट के साथ यात्रा करने की कथन का सर्मथन होता है।

14. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा 2 (29) रेल अधिनियम 1989 में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट कय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

15. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 के पैरा–17.4 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"...mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the

Ram

Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

16. मृतक रितिक कुमार द्वारा दिनांक 30.12.2021 को रेल थाना, भागलपुर को दिये गये फर्दबयान के अनुसार –

" ....मैं आज दिनांक 30.12.2021 को अपने भाई रवि कुमार का जमुई इन्जीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग करने हेतु अपने भाई रवि कुमार के साथ ट्रेन सं0 13401 अप भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामान्य बोगी में सवार होकर किउल जा रहे थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद करीब 500 मीटर की दूरी पर मुस्लिम हाईस्कूल के पास समय करीब 05:38 बजे पहुँची थी कि उसी बोगी में बैठा एक अज्ञात व्यक्ति जिसका उम्र करीब 25 वर्ष, रंग श्यामला, ऊँचाई करीब 5 फीट 7 इंच छरहरा बदन जो ब्लू जिंस पैंट एवं लाल रंग का जैकेट पहने हुए था, मेरे पास आया और मेरे हाथ से मेरा रियल मी–7 कम्पनी का मोबाईल जिसमें बोडा कम्पनी का सीम नं0 7544882269 लगा हुआ था, को लेकर भागने लगा, जब मैं उसे पकड़ने के लिए पीछा किया तो उसने मेरे उपर कट्टा से फायर कर दिया जिससे मेरे पैर में गोली लग गया जिससे मैं जख्मी हो गया। वह व्यक्ति मेरा मोबाईल लेकर कूदकर भाग गया। उसके बाद गाड़ी वैक्यूम हो गया तब मरे भाई रवि कुमार ने अन्य यात्रियों के सहयोग से मुझे ट्रेन से उतारकर ईलाज हेतु जेएलएनएमसीएच भागलपुर लाया, जहाँ मेरा ईलाज चल रहा है। "

इसके अतिरिक्त वैधानिक डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न स्टेशन डायरी में घटना की प्रविष्ट से भी मृतक के उक्त कथनों की पुष्टि होती है। केस रिकॉर्ड के डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न आरपीएफ के रोजनामचा एवं जीआरपी के जेनरल डायरी (GD) में भी इस घटना का विस्तृत विवरण उपलब्ध है।

Bcm

17. साक्षी रवि कुमार (ए.डब्ल्यू.–1) ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि–

2. That on 30.12.2021 I along with my deceased brother Ritik Kumar were going to Jamui Engineering college for conselling for admission by train no. 13401 UP Bhagalpur-Danapur Intercity boarded in general compartment. As soon as train started from Bhagalpur Junction and reached about 500 meter near Muslim High school at about 5:38 AM, one unknown miscreant boarded on the same coach came near deceased Ritik Kumar by snatching his real me-7 mobile bearing voda company sim No. 7544882269 fled away. Thereafter Ritik Kumár started chasing him to catch him. The miscreant fired upon his brother Ritik Kumar by katta result of which he sustained injury on abdomen. That miscreant took his brother's mobile phone and ran away by jumping from train. The miscreant sustained injury in course of jumping thereafter train stopped there by vacuuming then with the help of passenger, he got down from the train and took his brother Ritik Kumar to JLNMCH for treatment.

3. That on fard bayan of Ritik Kumar (deceased) the instant case vide Bhagalpur rail P.S. case No.-168/2021 has been instituted by SI Arvind Kumar on 30.12.2021 at about 6:40 AM at emergency ward of JLNMCH, Bhagalpur before him.

4. That for better treatment Ritik Kumar was shifted to all India Institute of Medical science Patna but he could not survived and ultimately died on 06.01.2022.

5. That after the death of deceased Ritik Kumar an inquest report was prepared by SHO Phulwari Sharif Camp AIIMS, Patna in presence of two witnesses 1. Ritesh Ranjan s/o Arun Kumar Verma resident of Shivpuri colony, P.S.-Ishachak, Bhagalpur.

18. साक्षी रवि कुमार (ए.डब्ल्यू.–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

प्रश्न: मृतक रितिक कुमार कौन थे

उत्तर: मेरे अपने बड़े भाई थे।

Rcm

प्रश्न: क्या वह विवाहित थे?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: आपके बड़े भाई क्या करते थे?

उत्तर: मृतक रितिक कुमार मायापुर कॉलेज भागलपुर में बी सी ए के विद्यार्थी थे।

प्रश्न: क्या यह शपथ-पत्र आपने बनवाया है तथा इसमें लिखी हुई बातों की पूरी जानकारी है?

उत्तर: जी हाँ।

प्रश्न: आपने अपने शपथ-पत्र के पैरा2 में जो घटना का वर्णन किया है उसे बताइये?

उत्तर: मैंने घटना का पूरा विवरण दिया है।

(गवाह ने घटना के विवरण को पुन दोहराया)

प्रश्न: इस मामले में प्राथमिकी क्या रेलवे पुलिस में दर्ज हुई थी?

उत्तर: जी हाँ रेल पी.एस भागलपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

प्रश्न: क्या पुलिस में आपका तथा आपके भाई का बयान भी हुआ था?

उत्तर: जी हाँ, हम दोनों का बयान पुलिस द्वारा अस्पताल में ही भागलपुर के जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज में हुआ था।

प्रश्न: क्या इस घटना से संबंधित कोई आपराधिक मामला भी किसी अन्य अदालत में चल रहा है?

उत्तर: जी हाँ, एक आपराधिक मामला अपर सत्र न्यायालय भागलपुर में चल रहा है।।

प्रश्न: उस मामले में क्या अभी भी सुनवाई चल रहा है अथवा निर्णय हो चुका है?

अभी मामला चल रहा है।

प्रश्न: आवेदिका जुली वर्मा कौन है?

उत्तर: मेरी माँ है।

19. इस प्रकार साक्षी रवि कुमार (ए.डब्ल्यू.–1) के शपथ पत्र एवं प्रतिपरीक्षण से याचीगण के मूल आवेदन में उल्लिखित कथनों का समर्थन होता है कि मृतक वैध यात्रा टिकट

के साथ यात्रा कर रहा था एवं उसकी मृत्यु ट्रेन में अपराधियों द्वारा बंदूक से गोली मारने से हुई थी।

20. दिनांक 07.01.2022 को समय 13:00 बजे जारी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार–

" मृतक की मृत्यु गोली लगने से होना प्रतीत होता है। "

21. दिनांक 07.01.2022 को समय 14:50 बजे शुरू हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कॉलम 5 के अनुसार–

- Body is clothed with white colour half T-shirt black colour harlf pant.
- All clothes and articles are examined and hand over to Chowkidar 2/6 Akash kumar.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉलम 6 के अनुसार–

External appearance-

- Average built.
- **Rigor mortis present all ever the body.**
- Post-mortem hypostasis present at black and fixed.
- Both ears and nose are packed with cotton.
- Both eyes closed, both cornea transparent to hazy.
- Nails cyanosed.
- Abdomen not distended.
- Bandage over whole abdomen.

Bullet found at lateral aspect of left side of hip 04 cm below the posterior superior iliac spine. lodged in subcutaneour tissue.

kumar

Time elapsed since death is 12+06 hours from the time of post-mortem examination.

22. पत्रावली पर उपलब्ध फाइनल रिपोर्ट इस वाद से संबंधित न होकर किसी अन्य वाद से संबंधित है। जिसे याची के विद्वान अधिवक्ता ने गलती से संलग्न की जाने की बात कही।

23. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत वैधानिक **डीआरएम रिपोर्ट** के अनुसार–

From the above facts, circumstances and evidences collected so far by the EO, it reveals that ***the deceased person Ritik Kumar was shot by criminal Md. Lal@ Md. Ashif Khan during snatching of mobile in Train No. 13401 (Bhagalpur-Danapur Intercity Express near LC Gate No. IA in between Bhagalpur-Nathnagar Railway Station.*** *During treatment, deceased person, Ritik Kumar died at AIIMS Patna.* ***GRPS/BGP arrested the criminals, namely, Md. Lal Md. Ashif and his associate Md Shakib @ Shaku. The case is under trial. Therefore, this incident falls under the definition of "Untoward Incident according to section- 123(c) (2) of Railways Act.***

" उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने मृतक को गाड़ी से यात्रा करना स्वीकार किया है। याचीगण के द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है उस टिकट का सत्यापन विपक्षी रेलवे द्वारा कराया गया था एवं टिकट सत्य पाया गया। चूंकि टिकट के संबंध में उत्तरदाता द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया है। अतः मृतक का एक सदभावी यात्री होने की बात का समर्थन मिलता है।"

24. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 124A– अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर– जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जो उस यात्रा को जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गयी है, आश्रित को उसके बारे में अनुपोषण करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुयी मृत्यु या उसको हुयी क्षति द्वारा पहुँची हानि के लिए उस सीमा तक जो विहित की जाय और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होता है, अर्थात–

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचायी गयी क्षति;

(ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्ता की हालत में किया गया कोई कार्य;

(ड.) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुयी क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है।

25. उत्तरदाता के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे संदर्भित घटना उपरोक्त धारा 124–ए के अपवाद के तहत आता हो।

26. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक उक्त ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं

उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत रेलगाड़ी में अपराधियों द्वारा बंदूक से गोली मारने से हुई थी, जो कि रेल अधिनियम की धारा–123 (सी)(2) सपठित धारा 124-A रेल अधिनियम 1989 के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

27. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक का आश्रित कौन है? जुली वर्मा द्वारा अपने जिरह के दौरान कहा कि मृतक रितिक कुमार अविवाहित था। इस प्रकार जुली वर्मा (मृतक की माता) एवं अरूण कुमार वर्मा उर्फ अरूण चन्द्र वर्मा (मृतक का पिता) ही मृतक के आश्रित की श्रेणी में आते हैं। ग्राम पंचायत निमियाँ द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र की प्रति न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन हमारे मत में पूर्णतः सिद्ध है।

28. अतः हमारे मत में याचीगण ही रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

29. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने

की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

30. आवेदकगण का आवेदन पत्र क्षतिपूर्ति राशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे प्रतिकर धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

कम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पक्षकार के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	जुली वर्मा	माता	42	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000
2.	अरूण कुमार वर्मा उर्फ अरूण चन्द्र वर्मा	पिता	56	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000

31. (a) प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करेंगे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से ₹80,000/- (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं हागा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचिनी के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याची की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक याची को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

32. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

26/08/2025

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 26.08.2025

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

26/08/2025

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 26.08.2025